सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 361/2017 दायर दिनाँक 18.12.2017

वदी		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–65साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. कानसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–62साल, 2. मुकनीदेवी पत्नी कमलसिंह, 3. कैलाश पुत्र कमलसिंह, समस्त,जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 529 रकबा 03.13 बीघा, खसरा नम्बर 523 रकबा 12.00 बीघा, खसरा नम्बर 528 रकबा 11.04 बीघा, खसरा नम्बर 1200/498 रकबा 08.06 बीघा, अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के हैं।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद तोषीणा मे वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जावे:–

वादी किशनसिंह के बन्ट व हिस्से की भूमि :–

खसरा नम्बर 529 रकबा 03.13 बीघा सम्पूर्ण नजरीनक्शा अनुसार।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 361 / 2017
दायर दिनाँक 18.04.2017, निर्णय दिनाँक 05.06.2018
किशनसिंह बनाम् कानसिंह, वगैरा।

खसरा नम्बर 523 रकबा 12.00 में से दक्षिणी दिशा की तरफ का रकबा 06.00 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार।

खसरा नम्बर 528 रकबा 11.04 बीघा में से दक्षिणी हिस्सा रकबा 05.12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट व हिस्से की भूमि :–

खसरा नम्बर 1200 / 498 रकबा 08.06 बीघा सम्पूर्ण नजरीनक्शा अनुसार।

खातेदारी में दर्ज स्वर्गीय गुलाब पत्नी स्वर्गीय मोहनसिंह, स्वर्गीय भँवरसिंह पुत्र मोहनसिंह तथा स्वर्गीय अरजनकँवर पत्नी सोहनराम उर्फ सोहनसिंह तथा स्वर्गीय कमलसिंह पुत्र स्वर्गीय सोहनसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शा ट्रेश (दौ), जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम तोषीणा खेवट संख्या 44 / 42, 258 / 225 व 246 / 212 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गुलाबकँवर मृत्यु दिनाँक 13.04.2016 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**तोषीणा** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

लोक अदालत व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान् राजीनामा कर लिया।

दावानुसार, पक्षकारान् सहमत हैं एवं दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

पक्षकारान्, दावा स्वीकार किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना, सही होना पाया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मद्दे नजर वाद वादी स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 361/2017
दायर दिनाँक 18.04.2017, निर्णय दिनाँक 05.06.2018
किशनसिंह बनाम् कानसिंह, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा **तोषीणा** में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 529 रकबा 03.13 बीघा सम्पूर्ण,** का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. **खसरा नम्बर 523 रकबा 12.00 बीघा में से,** रकबा 06.00 बीघा दक्षिणी भाग का वादी को तथा रकबा 06.00 बीघा उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. **खसरा नम्बर 528 रकबा 11.04 बीघा में से,** रकबा 05.12 बीघा दक्षिणी भाग का वादी को तथा रकबा 05.12 बीघा उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. **खसरा नम्बर 1200/498 रकबा 08.06 बीघा सम्पूर्ण,** का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. **उपर्युक्त क्रम संख्या 01 ता 04 में घोषित खातेदार के अलावा, खसरा नम्बरान् 529, 523, 528 व 1200/498 में वर्तमान में दर्ज अन्य तमाम खातेदारान् का नाम, उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।**

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S. सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

निर्णय, आज दिनाँक **05.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S. सहायक कलक्टर डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **361/2017** दायर दिनाँक **18.12.2017**

वदी		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–65साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. कानसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–62साल, 2. मुकनीदेवी पत्नी कमलसिंह, 3. कैलाश पुत्र कमलसिंह, समस्त,जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादीगण** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा **तोषीणा** में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 529 रकबा 03.13 बीघा सम्पूर्ण,** का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. **खसरा नम्बर 523 रकबा 12.00 बीघा में से,** रकबा 06.00 बीघा दक्षिणी भाग का वादी को तथा रकबा 06.00 बीघा उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. **खसरा नम्बर 528 रकबा 11.04 बीघा में से,** रकबा 05.12 बीघा दक्षिणी भाग का वादी को तथा रकबा 05.12 बीघा उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

4. **खसरा नम्बर 1200/498 रकबा 08.06 बीघा सम्पूर्ण,** का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. उपर्युक्त क्रम संख्या 01 ता 04 में घोषित खातेदार के अलावा, खसरा नम्बरान् 529, 523, 528 व 1200/498 में वर्तमान में दर्ज अन्य तमाम खातेदारान् का नाम, उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

मुदद्ई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बावत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बावत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–361–2017 / रीडर / 2018 / दिनाँक **05.06.2018**

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वदी		प्रतिवादीगण
1. किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–65साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. कानसिंह पुत्र मोहनसिंह, उम्र–62साल, 2. मुकनीदेवी पत्नी कमलसिंह, 3. कैलाश पुत्र कमलसिंह, समस्त,जाति–रावणा राजपूत, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner